हुनर-IV आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्देश

बिहार सरकार के ज्ञापांक 09/विविध–18/2013 44 पटना, दिनांक 30 अगस्त, 2013 के आलोक में हुनर परियोजना–IV का क्रियान्वयन, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के पचास हजार बालिकाओं को कुल 16 विषयों में कौशलवर्द्धन/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जायेगा। इस संदर्भ में निम्न कोटि–अल्पसंख्यक(मुस्लिम/अन्य)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को ही नामांकन की सुविधा प्राप्त होगी। सत्र 2013-14 में नामांकन के लिए इच्छुक आवेदिका, अपना आवेदन प्रपत्र भरकर अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकती हैं। बोर्ड कार्यालय को भी निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से आवेदन भेजा जा सकता है। आवेदन भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निम्नांकित हैः–

हुनर-IV आवेदन प्रपत्र भरने हेतु आवश्यक दिशा निर्देशः–

आवेदिका सर्वप्रथम बने बॉक्स में जिला का नाम, प्रखंड का नाम लिखें तथा आवेदन प्रपत्र के दाहिने तरफ अपना नवीनतम् तथा साफ रंगीन/ब्लैंक एण्ड वाइट फोटो लगायें। फोटो के नीचे बने बॉक्स में हस्ताक्षर स्पष्ट रूप में करें।

1. आवेदिका आवेदन प्रपत्र स्वयं भरें (कॉलम संख्या 01 से 13 तक)। भरते समय किसी भी प्रकार का काटछांट न हो।
2. कॉलम 01 के समक्ष आवेदिका अपना नाम हिन्दी में एवं अँग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें।
3. कॉलम 02 के समक्ष पिता का नाम हिन्दी में एवं अँग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें।
4. कॉलम संख्या 03 के समक्ष माता का नाम भी हिन्दी एवं अँग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे।
5. कॉलम संख्या 04 के समक्ष अपना पूर्ण स्थायी पता पिनकोड सहित भरें।
6. कॉलम संख्या 05 के समक्ष अपने पत्राचार का पता(यदि वह स्थाई पता से भिन्न हो), पिनकोड सहित भरें।
7. कॉलम संख्या 06 के समक्ष दूरभाष/चलंत दूरभाष (मोबाईल नं0) का उल्लेख करें।
8. कॉलम संख्या 07 के समक्ष जन्मतिथि का उल्लेख करें।

   जन्मतिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) जो अंचल अधिकारी/प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी /नगरनिगम /नगरपालिका /नगर पंचायत/ग्राम पंचायत/विद्यालय द्वारा निर्गत किया गया हो।

9. कॉलम संख्या 08 के समक्ष दिनांक 05.09.2013 को अपनी आयु लिखें। वर्ष, माह, दिन में।

10. कॉलम संख्या 09 में अपने कोटि(जाति) सही(✓)का चिन्ह लगाकर अंकित करें।(सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)

11. कॉलम संख्या 10 में अपना समुदाय (धर्म) का नाम लिखें।

12. कॉलम संख्या 12 में किसी तीन पाठ्यक्रमों में से स्वरूचि के आधार पर 1, 2, 3 अंकित करें। अधोलिखित पाठ्यक्रमों में से किन्हीं तीन के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर लिखें। एक बार में किसी एक ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

13. कॉलम संख्या 13(क) में अपने घर के तीन किलोमीटर परिधि के अंदर में उपलब्ध सरकारी विद्यालय का नाम एवं पता लिखें, जहाँ आवेदिका प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है। अगर इस परिधि के अंदर बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का कोई अध्ययन केन्द्र उपलब्ध है तो उसका नाम और पूरा पता कॉलम 13(ख) में लिखे।

14. कॉलम संख्या 14 में आवेदिका अपने माता/पिता/अभिभावक से दर्शाये गये घोषणा हस्ताक्षरित करायें।

15. बोर्ड आवेदिका को किसी भी पाठ्यक्रम या अध्ययन केन्द्र आवंटित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

****